महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विद्या परिषद् की 55वीं बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

विद्या परिषद् की 55वीं बैठक दिनांक 04 जनवरी, 2017 को अपराह्न 3.00 बजे बृहस्पति भवन स्थित अशोका सभा कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

01	**प्रो. कैलाश सोडाणी** कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	अध्यक्ष
02	**प्रो. जी.के.कोहली** संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष-खाद्य विज्ञान एवं पोषण विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर	सदस्य
03	**प्रो. मनोज कुमार** संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष-प्रबन्ध अध्ययन विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर	सदस्य
04	**डॉ. अनूप कुमार** संकायाध्यक्ष एवं प्राचार्य, दयानन्द महाविद्यालय, अजमेर	सदस्य
05	**डॉ. डी.के. सिंह** संकायाध्यक्ष एवं प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर	सदस्य
06	**प्रो. आशीष भटनागर** विभागाध्यक्ष- सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर	सदस्य
07	**प्रो. नीरज भार्गव** विभागाध्यक्ष- कम्प्यूटर साईंस विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर	सदस्य
08	**प्रो. रीटा मेहरा** विभागाध्यक्ष-शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर	सदस्य
09	**प्रो. शिव दयाल सिंह** विभागाध्यक्ष-अर्थशास्त्र विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर	सदस्य
10	**प्रो. बी.एल. चौधरी** अध्यक्ष, मा.शि.बो. राजस्थान अजमेर	सदस्य

11 **प्रो. प्रवीण माथुर** सदस्य
संकायाध्यक्ष-छात्र कल्याण,
विभागाध्यक्ष- पर्यावरण विज्ञान
म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

12 **डॉ. बी.एल. मालवीय** सदस्य
प्राचार्य, एम.एल.वी. राज. महाविद्यालय
भीलवाडा

13 **प्रो. गोविन्द पारीक** सदस्य
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर

14 **कुलसचिव** सदस्य-सचिव
म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :

1. प्रो. जी. सोरल, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर
2. प्रो. बी.पी. सारस्वत, संकायाध्यक्ष- वाणिज्य संकाय
3. प्रो. लक्ष्मी ठाकुर, संकायाध्यक्ष- सोशल साईंस
4. आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, जयपुर

सर्व प्रथम माननीय कुलपति महोदय ने विद्या परिषद् के सभी सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् विद्या परिषद् की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया।

मद	विवरण	अनुभाग/विभाग
मद सं. 1	विद्या परिषद् की दिनांक 27.08.2016 को सम्पन्न हुई 54वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना। उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (54) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2016/22783-802 दिनांक 03.09.16 को प्रेषित की गई।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**कार्यवृत्त की पुष्टि इस प्रेक्षण के साथ की गई कि 54वीं बैठक के कार्यवृत्त के अन्त में टंकित पंक्ति** "सदस्या प्रो. रीटा मेहरा, विभागाध्यक्ष, विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन विभाग द्वारा उपरोक्त सभी निर्णयों पर विमति दर्ज करायी गयीं। प्रो. मेहरा द्वारा दिए गए विमति पत्र संबंधित अनुभाग को प्रेषित किये गये" **को निम्न प्रकार से पढा जाए:** **सदस्या प्रो. रीटा मेहरा, विभागाध्यक्ष, विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन विभाग द्वारा मद सं. 5 को छोडकर शेष निर्णयों पर विमति दर्ज करायी गयीं। प्रो. मेहरा द्वारा दिए गए विमति पत्र संबंधित अनुभाग को प्रेषित किये गये।**	
मद सं. 2	दिनांक 27.08.2016 को सम्पन्न विद्या परिषद् की 54वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-1)** अनुपालना रिपोर्ट अलग से प्रेषित की जायेगी।	**शैक्षणिक- I**

निर्णय	**अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।**	
मद सं. 3	विश्वविद्यालय के निम्नलिखित संकायाध्यक्षों का कार्यकाल उनके नाम के सम्मुख दिनांक को समाप्त हो चुका है/हो रहे हैंः- 1. संकायाध्यक्ष, महाविद्यालय दिनांक 27.12.2016 2. संकायाध्यक्ष, स्नातकोत्तर अध्ययन दिनांक 22.12.2016 3. संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय दिनांक 18.12.2016 4. संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय दिनांक 18.12.2016 5. संकायाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन संकाय दिनांक 21.05.2016 विद्या परिषद की बैठक सामान्यतया एक अन्तराल के बाद होती है। संकायाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन संकाय जिनका कार्यकाल 21.05.2017 तक का है फिर भी विद्या परिषद् की इस बैठक में निर्णय लेना उचित होगा। संकायाध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है। न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना एवं विश्वविद्यालय के परिनियमों के अनुसार संकायाध्यक्षों की नियुक्ति विद्या परिषद् के माध्यम से कराया जाना है। अतः विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 के परिनियम 2 (2) के तहत उपरोक्त संकायाध्यक्षों की नियुक्ति किये जाने पर विद्या परिषद् में विचार कर निर्णय करना।	**शैक्षणिक- I**
निर्णय	**बैठक में रिक्त हो चुके/हो रहे उपर्युक्तानुसार संकायाध्यक्षों की नियुक्ति हेतु बैठक में उपस्थित 13 सदस्यों (माननीय अध्यक्ष के अतिरिक्त) को अपनी अनुशंषा देने हेतु अनुशंषा पत्र वितरित किए गए। 12 सदस्यों से लिखित में प्राप्त अनुशंषाओं के आधार पर निम्नानुसार संकाय अध्यक्षों की नियुक्ति किए जाने का निर्णय लिया गया :** **1.** संकायाध्यक्ष, महाविद्यालय **प्रो. सुब्रतो दत्ता** **2.** संकायाध्यक्ष, स्नातकोत्तर अध्ययन **प्रो. सतीश अग्रवाल** **3.** संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय **प्रो. बी.पी. सारस्वत** **4.** संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय **प्रो. नगेन्द्र सिंह** **5.** संकायाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन संकाय **प्रो. मनोज कुमार** प्रो. रीटा मेहरा ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए अपनी अनुशंषाऐं अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत नहीं की।	
मद सं. 4	माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों की पुष्टि करनाः- (1) प्रतिवेदन है कि सूक्ष्मजीव विज्ञान एवं पर्यावरण विज्ञान पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 17.11.2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19(4) के तहत दिनांक 08.07.2016 को किया गया। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-2)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	

	(2) प्रतिवेदन है कि माननीय कुलपति महोदय के आदेश की अनुपालना में बी.कॉम. पार्ट-II ए.बी.एस.टी. पाठ्यक्रम एवं बी.कॉम. पार्ट-III एवं एम.कॉम. ए.बी.एस.टी. के पाठ्यक्रमों में संशोधन के क्रम में अधिसूचना क्रमांक एफ.13( )शैक्ष- प्रथम/मदसविवि/2016/29195-394 दिनांक 24.11.2016 जारी किया गया। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-3)**	**शैक्षणिक- I**
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(3) प्रतिवेदन है कि माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 26.11.2016 की अनुपालना में बी.एससी. (ऑनर्स) पार्ट-II केमेस्ट्री पाठ्यक्रम w.e.f. 2016.17 में संशोधन के क्रम में अधिसूचना क्रमांक एफ.13( )शैक्ष-प्रथम/मदसविवि/ 2016/ 30915-40 दिनांक 16.12.2016 जारी किया गया। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-4)**	**शैक्षणिक- I**
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
मद सं.5	विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में सत्र 2017-18 में नियमित छात्रों के प्रवेश नीति हेतु निम्न मद विचारार्थ प्रस्तुत है जो कि राजस्थान सरकार की प्रवेश नीति का भी अंग है। (राजस्थान सरकार की प्रवेश नीति के बिन्दु सं.3.1.4, 3.1.5, 3.1.7, 2.3.1) 1. अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को पुनः उसी पाठ्यक्रम में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, किन्तु उसे दूसरे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में स्नातक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा। 2. किसी भी अभ्यर्थी को महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में अर्हकारी स्नातक परीक्षा उपरान्त स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में नियमित प्रवेश का अवसर दो बार (दो स्नातकोत्तर विषयों में अथवा एक स्नातकोत्तर विषय एवं विधि स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम) से अधिक नहीं दिया जाएगा। 3. पूर्वार्द्ध उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर अन्तराल के पश्चात् उत्तरार्द्ध में प्रवेश के सम्बन्ध में नियम 2.3 में दी गई शर्तें यथावत् लागू होगी। बिन्दु सं.2.3 अन्तराल के पश्चात् प्रवेश 1. अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् दो अकादमिक सत्रों से अधिक अन्तराल व्यतीत होने पर नियमित/स्वयंपाठी आवेदक को अगली कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। 2. अन्तराल सम्बन्धी उपर्युक्त नियम महिला अभ्यर्थियों पर लागू नही होंगे।	**डीन-छात्र कल्याण/ शैक्षणिक - II**
निर्णय	**प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।**	

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलपति **कुलसचिव**

Panel of experts as recommended by the 54th Academic Council dated 27th August, 2016 in the subject of ....
....

Panel of experts as recommended by the 54th Academic Council dated 27th August, 2016 in the subject of ....
....

Panel of experts as recommended by the 54th Academic Council dated 27th August, 2016 in the subject of ....
....

Panel of experts as recommended by the 54th Academic Council dated 27th August, 2016 in the subject of ....
....

Panel of experts as recommended by the 54th Academic Council dated 27th August, 2016 in the subject of ....
....

Panel of experts as recommended by the 54th Academic Council dated 27th August, 2016 in the subject of ....

....

Panel of experts as recommended by the 54th Academic Council dated 27th August, 2016 in the subject of ....
....

Panel of experts as recommended by the 54th Academic Council dated 27th August, 2016 in the subject of ....
....

Panel of experts as recommended by the 54th Academic Council dated 27th August, 2016 in the subject of ....
....

Panel of experts as recommended by the 54th Academic Council dated 27th August, 2016 in the subject of ....
....

Panel of experts as recommended by the 54th Academic Council dated 27th August, 2016 in the subject of ....
....

Panel of experts as recommended by the 54th Academic Council dated 27th August, 2016 in the subject of ....
....